

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3745 का उत्तर

अनारक्षित डिब्बों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार और बेहतर सेवाएं

3745. श्री कामाख्या प्रसाद तासा:

श्री भारत सिंह कुशवाह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार रेलगाड़ियों के अनारक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विशेष साधारण डिब्बे का विनिर्माण करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) देश में अनारक्षित साधारण डिब्बों की यात्री क्षमता कितनी है;
- (ङ) क्या सरकार का महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पृथक अनारक्षित डिब्बों का विनिर्माण करने का विचार है;
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (छ) क्या सरकार यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए उन्नत प्रकार के डिब्बों का प्रचालन शुरू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): भारतीय रेल विभिन्न प्रकार की सेवाओं को अलग-अलग संरचना जिसमें गैर-वातानुकूलित और वातानुकूलित दोनों सवारी डिब्बे शामिल हैं, के साथ संचालित करके

समाज के सभी वर्गों की यात्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करती है, वर्तमान में गाड़ी सेवाओं को चलाने के लिए उपयोग किए जा रहे कुल सवारी डिब्बों में से दो-तिहाई गैर-वातानुकूलित हैं और एक-तिहाई वातानुकूलित प्रकार के हैं। साधारण और गैर-वातानुकूलित शयनयान सवारी डिब्बों का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए अधिक स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से, मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की संरचना के संबंध में मौजूदा नीति के अनुसार, 22 सवारी डिब्बों की एक गाड़ी में 12 (बारह) साधारण श्रेणी और शयनयान श्रेणी के गैर-वातानुकूलित सवारी डिब्बे और 08 (आठ) वातानुकूलित सवारी डिब्बे मुहैया कराए जाते हैं, जिससे साधारण और गैर-वातानुकूलित शयनयान सवारी डिब्बों का उपयोग करने वाले यात्रियों को अधिक स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है।

अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अधिक स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, चालू वित्त वर्ष के दौरान एलएचबी (लिंगे हॉफमैन बुश) सवारी डिब्बों के साथ चलने वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में 900 से अधिक साधारण श्रेणी के सवारी डिब्बे जोड़े गए हैं।

इसके अलावा, बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेल ने साधारण और शयनयान श्रेणी के सवारी डिब्बों सहित 10,000 गैर-वातानुकूलित सवारी डिब्बों के विनिर्माण का प्रावधान किया है।

इसके अलावा, वर्ष 2024 में होली और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को सीटें मुहैया कराने के लिए स्पेशल ट्रेनों के 13523 फेरे परिचालित किए गए थे।

दुर्गा पूजा/दीपावली/छठ के दौरान भीड़ को संभालने के लिए लगभग 1.8 करोड़ यात्रियों की सेवा के लिए 01 अक्टूबर, 2024 से 30 नवम्बर, 2024 की अवधि के दौरान स्पेशल ट्रेनों के 7990 फेरे अधिसूचित किए गए।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रेल ने अमृत भारत सेवाएं शुरू की हैं, जो झटका मुक्त यात्रा के लिए सेमी-परमानेंट कपलर, हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग विंडो, फोल्डेबल स्नैक टेबल और बोतल होल्डर, मोबाइल होल्डर आदि जैसी आधुनिक विशेषताओं और यात्री सुविधाओं से युक्त हैं। ये सेवाएं, जो पूरी तरह से गैर-वातानुकूलित गाड़ियां हैं, जिनमें वर्तमान में 12 शयनयान सवारी

डिब्बे और 8 साधारण श्रेणी के सवारी डिब्बे शामिल हैं, यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

भारतीय रेल पहले से ही लगभग सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में अंतिम वाहन एलएसएलआरडी/एसएलआरडी (द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह-गार्ड वैन और दिव्यांगजन अनुकूल कम्पार्टमेंट) में दिव्यांगजनों के लिए एक अलग कम्पार्टमेंट की सुविधा दी गई है। इन डिब्बों में चौड़े प्रवेश द्वार, चौड़ी बर्थ, चौड़े कम्पार्टमेंट, चौड़े दरवाजों के साथ बड़ा शौचालय, व्हील चेयर पार्किंग क्षेत्र आदि होते हैं। शौचालयों के अंदर, सहारे के लिए साइड की दीवारों पर अतिरिक्त ग्रैब रेल और उपयुक्त ऊंचाई पर वॉश बेसिन और दर्पण भी उपलब्ध होते हैं।

इसके अलावा, सभी वंदे-भारत गाड़ियों में प्रत्येक छोर पर ड्राइविंग सवारी डिब्बों में दिव्यांगजनों के लिए स्वचालित प्लग टाइप चौड़ा प्रवेश द्वार, व्हील चेयर की पार्किंग के लिए चिह्नित स्थान, व्हील चेयर के संपूर्ण संचलन के लिए बड़ा शौचालय क्षेत्र, ब्रेल संकेतक, कम ऊंचाई वाला वॉश बेसिन, उपयुक्त ऊंचाई पर हैंडरेल सहित वेस्टर्न कमोड आदि जैसी सुविधाओं का प्रावधान होता है।
